राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–756 / 2025

डॉ. लक्ष्मीकान्त मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश चन्द कटारा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, कैवियटर

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय करौली से ट्रोमा सेंटर जिला चिकित्सालय धौलपुर में किया गया। जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.10.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर 06 वर्ष से अधिक की नियमित राज्य सेवा पूर्ण करने पर डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2021 से उप निदेशक के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.02.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को प्रमुख विशेषज्ञ (संबंधित विशिष्ठता) के पद पर कार्यग्रहण

करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय मेडिकल कॉलेज करौली के लिए सहायक प्रोफेसर ओर्थोपेडिक्स, करौली पदनामित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.09.2024 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.09.2024 को सहायक आचार्य के पद पर राजकीय मेडिकल कॉलेज करौली में उपस्थिति दी गई थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने भारत का राजपत्र दिनांक 22.02.2022 के बिन्दु संख्या 8.1 में अंकित किया है कि *´´A non-teaching Consultant or Specialist, possessing postgraduate medical degree, working for at leas two years in the concerned specialty in a minimum 330 bedded non-teaching Government Hos vital shall be eligible to be designated as Assistant Professor and be absorbed permanently] if that Hospital is being converted into a Government Medical College for imparting undergraduate medical education. The subsequent promotions to higher teaching designations would be as per these regulations- Provided further that this would only be a one time provision and so absorbed teacher should not be transferred from that Institution for five years. The subsequent appointment of any faculty would be as per these regulations.´´* उपरोक्त अधिसूचना के अनुपालना में अपनी सहायक प्रोफेसर ओर्थोपेडिक्स के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की सहमति दी थी। अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना राजस्थान राजपत्र के बिन्दु संख्या 8. 1 का उल्लंघन है (अनुलग्नक–7)। अपीलार्थी आशान्वित जिले करौली नीति आयोग भारत सरकार द्वारा आशान्वित जिला चयनित करौली में कार्यरत है (अनुलग्नक–8)। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 19.09.2019 द्वारा जिला करौली में पदस्थापित कार्मिकों को निर्देशित किया गया था कि स्थानान्तरण होने पर संबंधित अधिकारी को उस पद पर उनका रिलीवर आने तक कार्यमुक्त न करें और इस क्रम में करौली के समस्त विभागों में पदस्थापित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी स्थिति में ना तो स्वयं रिलीव होवे और न ही अधिनस्थ अधिकारी को रिलीव करें (अनुलग्नक–9)। माननीय अधिकरण में दायर 1821/2021 गंगाराम मीणा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 15.08.2021 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 22.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को जिला चिकित्सालय, करौली में कार्य करने दिया जावे।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 22.01.2025 (अनुलग्नक–2) का कियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य